उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 48/2025/645/छप्पन-2025-46/2011
लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री सुनील कौरा को शासनादेश संख्या-1672/छप्पन-11-41/2011 दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा पायलट (रोटर विंग) के पद पर रु0 1.80 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 03.10.2011 के पूर्वाह्न में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त श्री सुनील कौरा की संविदा अवधि समय-समय पर बढ़ाई गयी, वर्तमान में इनकी संविदा अवधि शासनादेश संख्या- 92/2023/1145/छप्पन-2023-46/2011 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 के अन्तर्गत नियत मासिक पारिश्रमिक एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि पर पूर्व सेवा शर्तों के साथ 03 अक्टूबर, 2023 से नियमानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक के लिए बढ़ाई गई। इस प्रकार दिनांक 31 मई, 2025 को इनकी संविदा सेवा पूर्ण हो रही है। शासनादेश संख्या-68/2024/1327/छप्पन-2024-23/2017टी0सी0 दिनांक 14 अगस्त, 2024 के अन्तर्गत निदेशालय के संविदा पायलटों की संविदा सेवा अवधि को 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 400/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/ 2025 दिनांक 17 मार्च,2025 के माध्यम से पायलट (रोटर विंग) के पद पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री सुनील कौरा की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रु0 6,98,098/- एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 01 जून**,** 2025 से अग्रेत्तर 02 वर्ष अर्थात दिनांक 31 मई, 2027 तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री सुनील कौरा की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रु0 6,98,098/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 01 जून, 2025 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात 31 मई, 2027 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- श्री सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) की संविदा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्री सुनील कौरा से संविदा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 48/2025/645(1)/छप्पन-2025-46/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।